



2026:AHC: 171223-DB

निर्णय सुरक्षित रखा गया:- 06.07.2026.

निर्णय सुनाया गया:- 14.08.2026.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 2824/2003

कृष्णपाल और अन्य

.....अपीलार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता	: जय प्रकाश सिंह, रोहित रंजन अग्रवाल, साह ओ.पी. अग्रवाल
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता	: अंकित कुमार साहू, ब्रजेश कुमार, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 43

**माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ
माननीय न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी**

(माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ द्वारा प्रदत्त)

1. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जे.पी. सिंह द्वारा सहायता प्राप्त विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वी.पी. श्रीवास्तव; राज्य-प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान प्रथम अपर शासकीय अधिवक्ता श्री जी.एन. कनौचिया को सुना गया तथा विचारण न्यायालय के अभिलेख एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान आपराधिक अपील अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक), जी.बी. नगर द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 1617/1999, राज्य बनाम कृष्णा एवं अन्य में पारित दिनांक 31.05.2003 के निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थी संख्या 1 को धारा 302 सहपठित धारा 34 भा.द.सं. के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं 1000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया; अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 1 माह का अतिरिक्त सादा कारावास भुगतना होगा; तथा धारा

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



307 भा.द.सं. के अंतर्गत 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 2000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 2 माह का अतिरिक्त सादा कारावास भुगतना होगा। अपीलार्थी संख्या 2 एवं 3 को धारा 302/307 सहपठित धारा 34 भा.द.सं. के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराते हुए आजीवन कारावास एवं 5000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 6 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा, तथा 7 वर्ष के कठोर कारावास से भी दण्डित किया गया। समस्त दण्डादेशों को साथ-साथ चलाए जाने का निर्देश दिया गया है।

3. अभियोजन का प्रकरण यह है कि दिनांक 28 जनवरी, 1996 को शिकायतकर्ता बिजेन्द्र, पी.डब्ल्यू.-3, अपने बड़े भाई ज्ञानेन्द्र (मृतक), (भाभी) किरण, पी.डब्ल्यू.-2, तथा छोटे भाई गजेन्द्र, पी.डब्ल्यू.-1 के साथ अपने गाँव से गाजियाबाद स्थित अपनी डेयरी को जा रहा था। जैसे ही वे लगभग 3:00 बजे अपराहन चोलस मोड़ (तिराहे) पर पहुँचे, अभियुक्तगण कृष्णपाल, ब्रह्मपाल एवं चन्द्रपाल, जिन्हें वह पहले से जानता था, देशी पिस्तौलें लिए हुए अचानक उनके सामने आ गए तथा शिकायतकर्ता एवं उसके परिवार को मार डालने के आशय से गोली चलाने लगे। उसका बड़ा भाई ज्ञानेन्द्र मौके पर ही मर गया तथा उसका छोटा भाई गजेन्द्र (पी.डब्ल्यू.-1) घायल होकर गिर पड़ा। उसकी (भाभी) किरण, पी.डब्ल्यू.-2, भी इस घटना में घायल हो गई। तीनों अभियुक्त यामाहा मोटरसाइकिल संख्या डी.एल.-1 एस.टी.-6210 पर सवार होकर दादरी की ओर भाग गए। उसकी भाभी ने पुलिस चौकी कोट के पुलिसकर्मियों की सहायता से उसके भाई गजेन्द्र (पी.डब्ल्यू.-1) को अस्पताल पहुँचाया। यह घटना अभियुक्तगण धर्मवीर एवं सुरते द्वारा भूमि संबंधी चल रहे विवाद के कारण रचित आपराधिक षड्यंत्र के अनुसरण में कारित की गई थी। यह तथ्य साक्षीगण फिरे एवं हरवीर (पी.डब्ल्यू.-4) की जानकारी में था।

4. इस प्रकरण में पाँच अभियुक्त हैं, जिनमें से एक अभियुक्त, धर्मवीर पुत्र रतन सिंह, की मृत्यु हो चुकी है। एक अन्य अभियुक्त, सुरसे पुत्र परसादी, को विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया है।

5. घटना की तिथि एवं समय 28.1.1996 को 15.00 बजे है, जिसके संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट उसी दिन 15.50 बजे अपराध संख्या 37/1996 के रूप में थाना दादरी, जिला गाजियाबाद (अब जिला गौतमबुद्ध नगर) में दर्ज कराई गई। थाना दादरी घटनास्थल से 8 किलोमीटर दूर है। घटनास्थल ग्राम नगला नैनसुख है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



6. जैसा कि ऊपर कहा गया है, इस प्रकरण में पाँच अभियुक्त हैं, अर्थात् कृष्णपाल पुत्र परसादी, ब्रह्मपाल पुत्र परसादी, चन्द्रपाल पुत्र गंगादास गूजर, धर्मवीर पुत्र रतन सिंह तथा सुरते पुत्र परसादी। कृष्णपाल देशी पिस्तौल से लैस था तथा अभिकथन के अनुसार उसने घायल साक्षी पी.डब्ल्यू.-1, गजेन्द्र, पर गोली चलाई तथा ब्रह्मपाल एवं चन्द्रपाल ने मृतक पर गोली चलाई। मृतक ज्ञानेन्द्र पुत्र होशियार सिंह है। प्रथम सूचना रिपोर्ट पी.डब्ल्यू.-3, बिजेन्द्र, द्वारा दर्ज कराई गई है। मृतक के शव का शव-परीक्षण पी.डब्ल्यू.-5, डॉ. ए.के. रस्तोगी, द्वारा दिनांक 21.1.1996 को अपराह्न 3.00 बजे किया गया।

7. अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में 10 अभियोजन साक्षियों का परीक्षण कराया है। पी.डब्ल्यू.-1 गजेन्द्र एवं पी.डब्ल्यू.-2 किरण घायल हैं तथा पी.डब्ल्यू.-3 बिजेन्द्र प्रथम सूचनाकर्ता है। पी.डब्ल्यू.-4 हरवीर को पक्षद्रोही घोषित किया गया है। ये तथ्यों के साक्षी हैं। शेष साक्षी औपचारिक साक्षी हैं। पी.डब्ल्यू.-5 डॉ. ए.के. रस्तोगी हैं जिन्होंने शव-परीक्षण किया। पी.डब्ल्यू.-6 सत्य सिंह हैं जिन्होंने पी.डब्ल्यू.-2 किरण का परीक्षण किया। पी.डब्ल्यू.-7 डॉ. एस.के. गर्ग हैं जिन्होंने पी.डब्ल्यू.-1 गजेन्द्र का परीक्षण किया। पी.डब्ल्यू.-8 कल्याण सिंह हैं जो द्वितीय विवेचक हैं। पी.डब्ल्यू.-9 महफूज खान हैं जो लिपिक/हेड कांस्टेबल हैं तथा जिन्होंने चिक रिपोर्ट तैयार की। पी.डब्ल्यू.-10 सतेन्द्र सिंह चौहान हैं जो भी विवेचक हैं तथा जिन्होंने पंचायतनामा भी तैयार किया।

8. अपने पक्ष के समर्थन में अभियोजन ने निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत एवं साबित किए: लिखित शिकायत (प्रदर्श-क-1), चिक एफ.आई.आर. (प्रदर्श-क-7), बरामदगी फर्द (प्रदर्श-क-5, क-15 एवं क-16), चिकित्सीय रिपोर्टें (प्रदर्श-क-3 एवं क-4), पंचायतनामा (प्रदर्श-क-9), थाना दादरी की रिपोर्ट (प्रदर्श-क-10), मुख्य चिकित्साधिकारी की रिपोर्ट (प्रदर्श-क-11), फार्म संख्या 13 (प्रदर्श-क-14), शव-परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श-क-2), नक्शा-नजरी (प्रदर्श-क-17), तथा आरोप-पत्र (प्रदर्श-क-6)।

9. जैसा कि ऊपर कहा गया है, दो घायल साक्षी हैं। पी.डब्ल्यू.-1 गजेन्द्र, जिसका चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 28.1.1996 को अपराह्न 3.40 बजे किया गया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि उसका चिकित्सीय परीक्षण प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने, जो 15.50 बजे दर्ज हुई, से पूर्व किया गया था। उसका चिकित्सीय परीक्षण प्रभारी पुलिस चौकी कोट, थाना दादरी द्वारा भेजी गई मजरूबी चिट्ठी के आधार पर किया गया था। पी.डब्ल्यू.-1 गजेन्द्र की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



प्रदर्श क-4 है। दूसरा घायल पी.डब्ल्यू.-2 किरण है, जिसका चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 13.2.1996 को अपराहन 2.45 बजे किया गया, जो प्रदर्श क-3 के रूप में चिह्नित है।

10. घायल किरण देवी (पी.डब्ल्यू.-2) की चोटों का चिकित्सीय परीक्षण डॉ. सत्य सिंह (पी.डब्ल्यू.-6) द्वारा किया गया तथा गजेन्द्र सिंह (पी.डब्ल्यू.-1) की चोटों का परीक्षण डॉ. एस.के. गर्ग (पी.डब्ल्यू.-7) द्वारा किया गया, तथा मृतक ज्ञानेन्द्र के शव का शव-परीक्षण डॉ. ए.के. रस्तोगी (पी.डब्ल्यू.-5) द्वारा किया गया। यह प्रकरण शिकायतकर्ता बृजेन्द्र के लिखित शिकायत के आधार पर पंजीकृत किया गया तथा चिक एफ.आई.आर. (प्रदर्श क-7) हेड कांस्टेबल महफूज खान (पी.डब्ल्यू.-9) द्वारा तैयार की गई।

11. पंचायतनामा की कार्यवाही 28.1.1996 को 16.20 बजे प्रारंभ हुई तथा उसी दिन 17.25 बजे समाप्त हुई। प्रथम सूचनाकर्ता, पी.डब्ल्यू.-3, बिजेन्द्र, को पंचायतनामा का साक्षी बनाया गया है।

12. विवेचना उप-निरीक्षक सुरेन्द्र सिंह चौहान (पी.डब्ल्यू.-10) द्वारा प्रारंभ की गई, जिनके द्वारा पंचायतनामा (प्रदर्श-क-9) तैयार किया गया तथा शव को शव-परीक्षण हेतु भेजा गया। सादी एवं रक्तचिह्नित मिट्टी एकत्रित करने के पश्चात् फर्द (प्रदर्श-क-15) तैयार किया गया। खाली कारतूस एवं जूता घटनास्थल से बरामद किया गया तथा प्रदर्श-क-16 तैयार किया गया। नक्शा-नजरी (प्रदर्श-क-17) तैयार किया गया। इस मामले की विवेचना निरीक्षक कल्याण सिंह (पी.डब्ल्यू.-8) द्वारा की गई, जिन्होंने किरण देवी (पी.डब्ल्यू.-2) का कथन अभिलिखित किया तथा विवेचना पूर्ण करने एवं अभियुक्तगण के कथन अभिलिखित करने के पश्चात् उपर्युक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप-पत्र (प्रदर्श-क-6) प्रस्तुत किया।

13. अभियुक्तगण कृष्णपाल, ब्रह्मपाल, चन्द्रपाल के विरुद्ध धारा 302 एवं 307 भा.द.सं. के अंतर्गत आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया तथा अभियुक्त सुरते के विरुद्ध धारा 302 सहपठित धारा 120बी भा.द.सं. के अंतर्गत आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इनकार किया तथा विचारण की माँग किया।

14. अभियुक्तगण के कथन धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अंकित किए गए, जिन्होंने अभियोजन के संस्करण से इनकार किया तथा उसे पूर्णतः अस्वीकार किया। तथापि, अपने बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



15. पी.डब्ल्यू.-1, गजेन्द्र (घायल), पी.डब्ल्यू.-2 श्रीमती किरण पत्नी मृतक ज्ञानेन्द्र तथा पी.डब्ल्यू.-3, शिकायतकर्ता बिजेन्द्र (मृतक का भाई) को अभियोजन की ओर से प्रत्यक्षदर्शी साक्षी एवं तथ्यों के साक्षी के रूप में परीक्षित किया गया है, ताकि अभिकथित अपराध को साबित किया जा सके। पी.डब्ल्यू.-1, गजेन्द्र, ने शपथ पर कथन किया है कि दिनांक 28.01.1996 को अपराहन 3:15 बजे, वह, उसका भाई ज्ञानेन्द्र (मृतक), बिजेन्द्र तथा उसकी भाभी किरण, अपने गाँव से गाजियाबाद स्थित अपनी डेयरी को जा रहे थे। जैसे ही वे कोट पुल के निकट चोलस मोड़ पर पहुँचे, अभियुक्तगण कृष्णपाल, ब्रह्मपाल एवं चन्द्रपाल देशी पिस्तौलें लिए हुए उनके सामने आ गए तथा उन्हें मार डालने की धमकी दी। ललकारे जाने पर अभियुक्तगण ब्रह्मपाल एवं चन्द्रपाल ने उसके भाई ज्ञानेन्द्र को गोली मार दी। ज्योंही यह साक्षी घटनास्थल से भागा, अभियुक्त कृष्णपाल ने इस साक्षी पर तीसरी गोली चलाई, जिसके कारण वह लगभग 50 कदम दौड़ने के बाद गिर पड़ा। अभियुक्तगण यामाहा मोटरसाइकिल पर भाग गए। इस साक्षी की भाभी, पी.डब्ल्यू.-2, किरण, थाने गई तथा घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस आई। विवाद के कारण के संबंध में इस साक्षी ने कथन किया कि उसके गाँव के धर्मवीर के साथ भूमि को लेकर विवाद था, जिसमें अभियुक्तगण सुरते, कृष्णपाल एवं ब्रह्मपाल धर्मवीर के रिश्तेदार हैं तथा उन सभी ने गोली चलाई।

16. पी.डब्ल्यू.-2, श्रीमती किरण ने पी.डब्ल्यू.-1 गजेन्द्र के कथन का समर्थन करते हुए संक्षेप में कथन किया कि 28 जनवरी को लगभग 2.30-3.00 बजे, वह अपने पति ज्ञानेन्द्र (मृतक) एवं (देवरों) बिजेन्द्र तथा गजेन्द्र के साथ अपने गाँव से गाजियाबाद स्थित अपनी डेयरी को जा रही थी। जैसे ही वे चोलस मोड़ पर पहुँचे, ब्रह्मपाल, कृष्णपाल, चन्द्रपाल अचानक आ गए। ब्रह्मपाल एवं चन्द्रपाल ने उसके पति ज्ञानेन्द्र को बंदूक से गोली मार दी। अभियुक्त कृष्णपाल ने उसके देवर गजेन्द्र को गोली मारी, इसके पश्चात् तीनों अभियुक्त भाग गए। उसे भी अपने पैर में मामूली चोट आई। इसके पश्चात् वह पुलिस चौकी कोट पहुँची, जहाँ से वह पुलिस के साथ पुनः वहाँ पहुँची। पुलिस उसके (देवर) गजेन्द्र को दादरी अस्पताल ले गई। इसके पश्चात् वे गजेन्द्र को यशोदा अस्पताल, गाजियाबाद ले गए।

17. तीसरे साक्षी बिजेन्द्र (पी.डब्ल्यू.-3), जो इस मामले में शिकायतकर्ता है, ने शपथ पर कथन किया कि दिनांक 28 जनवरी 1996 को वह ज्ञानेन्द्र, गजेन्द्र तथा अपनी (भाभी) किरण के साथ अपने गाँव नगला नैनसुख से गाजियाबाद जा रहा था। जब वे कोट पुल के निकट पहुँचे, ब्रह्मपाल

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



उर्फ पप्पू, कृष्णपाल एवं चन्द्रपाल, तीनों देशी पिस्तौलें लिए हुए सामने आ गए तथा उसके भाई ज्ञानेन्द्र को अभियुक्तगण ब्रह्मपाल एवं चन्द्रपाल ने गोली मारी तथा गजेन्द्र को अभियुक्त कृष्णपाल ने पीछे से गोली मारी, जिसके कारण वह गिर पड़ा। गोली चलने पर घटनास्थल पर भगदड़ मच गई। यह साक्षी अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। इस साक्षी की भाभी (किरण) पुलिस (चौकी) कोट गई तथा पुलिसकर्मियों को लेकर आई, इससे पूर्व अभियुक्तगण मोटरसाइकिल पर भाग चुके थे। पुलिस घायल गजेन्द्र को दादरी अस्पताल ले गई। अभियुक्तगण धर्मवीर के रिश्तेदार हैं, जिनके साथ इस साक्षी की भूमि को लेकर चल रही शत्रुता है। अभियुक्तगण, सुरते एवं धर्मवीर ने अन्य अभियुक्तगण के साथ षड्यंत्र रचकर यह हत्या करवाई। इस घटना की रिपोर्ट उसके द्वारा श्योराज के माध्यम से लिखवाई गई तथा प्रदर्श क-1 के रूप में प्रस्तुत की गई, जिसके आधार पर प्रकरण पंजीकृत किया गया। पंचायतनामा प्रदर्श क-9 पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करते हुए इस साक्षी ने कथन किया कि पंचायतनामा रिपोर्ट उसकी उपस्थिति में तैयार की गई थी।

18. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया पहला प्रश्न यह है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट पूर्वदिनांकित है। यह इस अपील में सुसंगत विवादक है कि क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट 15.50 बजे दर्ज कराई गई थी अथवा नहीं। प्रथम सूचना रिपोर्ट पी.डब्ल्यू.-3, बिजेन्द्र, द्वारा बोलकर लिखवाई गई तथा श्योराज सिंह पुत्र श्रीराम निवासी ग्राम दुजाना, थाना दादरी, जिला गाजियाबाद द्वारा लिखी गई। पंचायतनामा 28.1.1996 को 16.20 बजे प्रारंभ हुई तथा उसी दिन 17.25 बजे समाप्त हुई। जैसा कि ऊपर कहा गया है, पी.डब्ल्यू.-3 बिजेन्द्र, प्रथम सूचनाकर्ता, पंचायतनामा के साक्षियों में से एक है। अब पी.डब्ल्यू.-3, बिजेन्द्र, के कथन को देखें, जिसने कहा कि वह श्योराज सिंह से घटना के दिन अपराह्न 4:00-4:30 बजे मिला था, जब घायल पी.डब्ल्यू.-1, गजेन्द्र, यशोदा अस्पताल में भर्ती था। उसने आगे कहा कि वह श्योराज सिंह से यशोदा अस्पताल में मिला तथा वहाँ 15-20 मिनट तक रहा। वह श्योराज सिंह से 4.00-4.20 बजे मिला। उसने आगे कहा कि वे पी.डब्ल्यू.-1 गजेन्द्र को गाजियाबाद अस्पताल ले जाने के लिए मैट्रडोर ढूँढ रहे थे, जिसमें लगभग 1-2 घंटे लगे। इसके पश्चात् जब वह गाजियाबाद से दादरी लौटा, तो श्योराज सिंह भी उसके साथ था तथा उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट उसे बोलकर लिखवाई। इससे यह प्रकट होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट 15.50 बजे दर्ज नहीं की गई थी, अपितु उसके काफी बाद दर्ज की गई थी। इसके

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



अतिरिक्त, पंचायतनामा रिपोर्ट के अनुसार पी.डब्ल्यू.-3, बिजेन्द्र सिंह, 28.1.1996 को 16.20 से 17.25 बजे तक, जहाँ पंचायतनामा की कार्यवाही हो रही थी, वहाँ उपस्थित रहा। यदि वह पंचायतनामा के समय घटनास्थल पर उपस्थित था, तथापि वह श्योराज सिंह से 4.00-4.30 बजे मिला तथा इसके पश्चात् उसने गाजियाबाद से दादरी जाने में समय व्यतीत किया तथा फिर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई, इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट, जैसा कि अभियोजन द्वारा कहा गया है, 15.50 बजे दर्ज की गई प्रतीत नहीं होती।

19. यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट का समय संदिग्ध है, तो अभियोजन के मामले की एक अन्य विशेषता यह है कि घायल पी.डब्ल्यू.-1 गजेन्द्र का चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 28.1.1996 को अपराह्न 3.40 बजे शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र दादरी, गाजियाबाद में किया गया। इस स्तर पर यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि जब यह हत्या कारित हुई, तब पी.डब्ल्यू.-2, किरण, तत्काल पुलिस चौकी कोट, थाना दादरी गई तथा पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद तीन पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुँचे तथा कांस्टेबल श्यामपाल सिंह के माध्यम से पी.डब्ल्यू.-1 को अस्पताल ले गए। उसे पुलिस द्वारा मजरूबी चिट्ठी के माध्यम से चिकित्सीय परीक्षण हेतु भेजा गया, जो कथित रूप से पुलिस चौकी कोट, थाना दादरी के पी.डब्ल्यू.-10, सतेन्द्र सिंह चौहान, द्वारा हस्ताक्षरित थी, जिसका परीक्षण पी.डब्ल्यू.-10 के रूप में किया गया। अपने कथन में उसने कहा कि केस डायरी में कुछ काट-छाँट है, जो उसने नहीं की। उसने कहा कि भूलवश उसने 18 के स्थान पर 28 लिख दिया, क्योंकि घटना की तिथि 18.1.1996 है। उसने आगे कहा कि उसने घायल पी.डब्ल्यू.-1 को नहीं देखा था तथा मजरूबी चिट्ठी थाने से लाए गए कांस्टेबल के माध्यम से तैयार की गई थी। उसने कहा कि यह ज्ञात नहीं है कि मजरूबी चिट्ठी किसने दी। उसने कहा कि उसने मजरूबी चिट्ठी तैयार नहीं की। उसने आगे कहा कि उसे यह भी ज्ञात नहीं है कि मजरूबी चिट्ठी किसने लिखी। प्रदर्श क-4 पर किसने लिखा, यह वह नहीं बता सकता। उसने आगे कहा कि उस पर हस्ताक्षर है। उसने आगे कहा कि मजरूबी चिट्ठी पर अपराध संख्या अंकित नहीं है। वह गजेन्द्र को अस्पताल भेजने से पूर्व घटनास्थल पर पहुँचा। पी.डब्ल्यू.-3, बिजेन्द्र, उससे मिला तथा वह पूरे पंचायतनामा के दौरान उपस्थित रहा। उसने पंचायतनामा रिपोर्ट तैयार करने में एक घंटा व्यतीत किया, जिससे यह प्रकट होता है कि पंचायतनामा की समाप्ति तक कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई थी।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



20. अब पी.डब्ल्यू.-1 के कथन पर आते हैं, जिसे अभियोजन के मामले का मुख्य साक्षी माना जाता है। वह घायल है। उसके कथन पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसने मुख्य परीक्षा में यद्यपि अभियोजन के मामले का समर्थन किया, तथापि प्रतिपरीक्षा में उसने अनेक अवसरों पर विचलन दिखाया। उसने कथन किया कि पी.डब्ल्यू.-3, बिजेन्द्र, इस प्रकरण का प्रथम सूचनाकर्ता, धारा 307 भा.द.सं. के अंतर्गत एक अन्य प्रकरण में कारागार में है, जिसमें वह भी अभियुक्त है तथा इस प्रकरण के सह-अभियुक्तों में से एक, सुरते, उस प्रकरण का प्रथम सूचनाकर्ता है।

21. उसने आगे कहा कि धर्मवीर पुत्र रतन सिंह की हत्या के संबंध में ज्ञानेन्द्र (वर्तमान प्रकरण के मृतक), नेत्रपाल, धर्मपाल, महाराज सिंह के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इससे प्रकट होता है कि पी.डब्ल्यू.-1, गजेन्द्र, का मृतक के साथ आपराधिक इतिहास रहा है। पी.डब्ल्यू.-1 ने कहा कि उसे यह ज्ञात नहीं है कि विवेचक ने उसका कथन अंकित किया या नहीं। उसने कहा कि उसने दादरी अस्पताल में पुलिस को अभियुक्तगण के नाम बताए थे। यह तथ्य सही प्रतीत नहीं होता, क्योंकि पी.डब्ल्यू.-1, गजेन्द्र की चोट रिपोर्ट के अनुसार, चिकित्सक ने कहा है कि रक्तस्राव हो रहा था तथा रोगी की सामान्य स्थिति खराब थी तथा उसे तत्काल जिला अस्पताल गाजियाबाद, आपातकालीन भर्ती हेतु रेफर किया जा रहा था। कोई उपचार अथवा एक्स-रे तथा प्रबंधन अभिलेख पर नहीं है। ऐसी गंभीर चिकित्सीय स्थिति में वह विवेचक को अभियुक्तगण के नाम नहीं बता सकता था। इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि घायल ने पी.डब्ल्यू.-10 को अभियुक्तगण के नाम बताए थे। यह भी तर्क दिया गया है कि किन परिस्थितियों में पी.डब्ल्यू.-3, बिजेन्द्र, घटनास्थल से भागा तथा यशोदा अस्पताल में पी.डब्ल्यू.-1 से मिला, यह स्पष्ट नहीं किया गया है। पी.डब्ल्यू.-1 10 दिन अस्पताल में रहा।

22. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि पी.डब्ल्यू.-2, श्रीमती किरण एवं पी.डब्ल्यू.-3, बिजेन्द्र, मृतक ज्ञानेन्द्र की पत्नी एवं भाई हैं, जिन्हें घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी बनाया गया है। वे घटनास्थल पर उपस्थित नहीं थे तथा दोनों साक्षी हितबद्ध साक्षी हैं, जिनका साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है।

23. माननीय उच्चतम न्यायालय ने राज्य पंजाब बनाम जगराज सिंह एवं अन्य (2002) (1)

जे.आई.सी. में यह विधि-सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि किसी साक्षी के साक्ष्य को मात्र इस

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



आधार पर बहिष्कृत नहीं किया जा सकता कि वह हितबद्ध साक्षी है; ऐसे साक्षियों के साक्ष्य का मूल्यांकन अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्य के आलोक में किया जाना चाहिए।

24. पी.डब्ल्यू.-2, श्रीमती किरण, के साक्ष्य के प्रश्न के संबंध में, इस संदर्भ में अपीलार्थीगण की ओर से तर्क दिया गया कि यह साक्षी घटनास्थल पर उपस्थित नहीं थी। अभियोजन ने कहा है कि पुलिस चौकी कोट को प्रथम सूचना इसी साक्षी द्वारा दी गई थी, जिसके आधार पर पुलिस चौकी कोट सर्वप्रथम घटनास्थल पर पहुँची। जैसा कि विवेचक, पी.डब्ल्यू.-10, उप-निरीक्षक सुरेन्द्र सिंह चौहान एवं पी.डब्ल्यू.-8, निरीक्षक कल्याण सिंह द्वारा कहा गया है, वायरलेस सूचना के आधार पर, घटना के आधे घंटे बाद, तीनों अभियुक्तगण, अर्थात् ब्रह्मपाल, चन्द्रपाल एवं कृष्णपाल, हत्या में प्रयुक्त देशी पिस्तौलों सहित गिरफ्तार किए गए। अपीलार्थीगण की ओर से तर्क दिया गया कि श्रीमती किरण द्वारा पुलिस चौकी कोट को दी गई सूचना तथा वायरलेस के माध्यम से प्रेषित सूचना के आधार पर, पी.डब्ल्यू.-8, निरीक्षक कल्याण सिंह द्वारा घटना के आधे घंटे के भीतर अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया जाना कहा गया है, जिसे अभिलेख पर नहीं लाया गया। इसके अतिरिक्त, इस साक्षी का कथन घटना के सात दिन बाद अभिलिखित किया गया तथा चिकित्सीय परीक्षण तेरह दिन बाद किया गया। जबकि, इस साक्षी के स्वयं के कथन के अनुसार, वह घटना के पश्चात् पुलिस चौकी कोर्ट, दादरी अस्पताल, यशोदा अस्पताल तथा पुलिस के संपर्क में रही। इस प्रकार, अपीलार्थी के अनुसार, यह साक्षी न तो घटना की प्रत्यक्षदर्शी है और न ही घटनास्थल पर उपस्थित थी।

25. पी.डब्ल्यू.-2, किरण देवी, ने अपने कथन में कहा कि जब उसके पति ज्ञानेन्द्र एवं देवर गजेन्द्र को अभियुक्तगण द्वारा गोली मारी गई, तो वह पुलिस चौकी कोट गई तथा पुलिस को सूचित किया, जिसके आधार पर पुलिस घटनास्थल पर पहुँची। प्रतिपरीक्षा में उसने कहा कि वह अपने घायल देवर पी.डब्ल्यू.-1, गजेन्द्र, को पुलिस के साथ दादरी अस्पताल ले गई; एक पुलिसकर्मी मोटरसाइकिल चला रहा था, उसका देवर बीच में बैठा था तथा वह उसे पीछे से पकड़े हुए थी। उसके देवर को पीठ एवं कमर पर गोली की चोट लगी थी। इस साक्षी ने यह भी कहा कि दादरी अस्पताल के पश्चात्, वह अपने देवर गजेन्द्र को यशोदा अस्पताल, गाजियाबाद ले गई, जहाँ उसका ऑपरेशन हुआ तथा उपचार किया गया। पी.डब्ल्यू.-1, गजेन्द्र, की चिकित्सीय रिपोर्ट, प्रदर्शक-4, जिसे पी.डब्ल्यू.-7, डॉ. एस.के. गर्ग द्वारा साबित किया गया, का अवलोकन करने पर, पी.डब्ल्यू.-

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



1, गजेन्द्र, का चिकित्सीय परीक्षण दादरी अस्पताल में अपराहन 3:40 बजे किया गया, तथा पी.डब्ल्यू.-1 गजेन्द्र को कांस्टेबल द्वारा अस्पताल लाया गया था। दादरी अस्पताल में श्रीमती किरण की उपस्थिति कहीं भी अभिलिखित नहीं है। पी.डब्ल्यू.-1, गजेन्द्र, से संबंधित यशोदा अस्पताल, गाजियाबाद के कोई चिकित्सीय अभिलेख अभिलेख पर उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।

26. पी.डब्ल्यू.-2, किरण देवी, ने कहा कि गोली चलने के पश्चात्, वह पुलिस चौकी कोट पहुँची, जहाँ से वह पुलिसकर्मियों को लेकर दस से पंद्रह मिनट के भीतर घटनास्थल पर पहुँची। पी.डब्ल्यू.-10, उप-निरीक्षक सुरेन्द्र सिंह चौहान, ने अपने शपथ पर कथन में कहा कि घटना के तत्काल पश्चात्, मृतक ज्ञानेन्द्र की पत्नी किरण देवी पुलिस चौकी कोट आई, जिसके बाद वह मामला पंजीकृत होने से पूर्व घटनास्थल पर पहुँचा। प्रतिपरीक्षा में, पी.डब्ल्यू.-10, उप-निरीक्षक, सुरेन्द्र सिंह चौहान ने यह भी कहा कि उसने निरीक्षक (पी.डब्ल्यू.-8) को वायरलेस के माध्यम से सूचित किया था कि हत्या कारित की गई है तथा अभियुक्तगण दादरी की ओर भाग रहे हैं। उसने निरीक्षक को यह भी सूचित किया कि हत्या करने वाले कुछ नामित व्यक्ति मोटरसाइकिल पर भाग रहे हैं। पी.डब्ल्यू.-8, निरीक्षक, कल्याण सिंह ने कहा कि वायरलेस पर यह सूचना प्राप्त हुई थी कि तीन अपराधी हत्या करने के पश्चात् कोट के निकट भाग रहे हैं। न तो अपराधियों के नाम बताए गए और न ही पते। प्रतिपरीक्षा में, उसने कहा कि उसने अभियुक्तगण को 15:30 बजे गिरफ्तार किया तथा रिपोर्ट प्रविष्टि संख्या 30, समय- 16:30 बजे, दर्ज कराई। चिक एफ.आई.आर. प्रदर्श क-3 के अनुसार, मामला 15:50 बजे पंजीकृत हुआ, जबकि इन साक्षियों के कथन के अनुसार, अभियुक्तगण को पी.डब्ल्यू.-8, तत्कालीन निरीक्षक, कल्याण सिंह, द्वारा 15:30 बजे ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जो प्रकरण पंजीकृत होने से पूर्व की बात है। इस प्रकार, यदि पी.डब्ल्यू.-2, श्रीमती किरण, ने चौकी को सूचना दी थी, तो अभियोजन को न्यायालय के समक्ष वायरलेस के माध्यम से प्राप्त सूचना, जो लिखित रूप में परिवर्तित की गई थी, प्रस्तुत करनी चाहिए थी, जिससे पी.डब्ल्यू.-2, किरण देवी, की घटनास्थल पर उपस्थिति की पुष्टि हो सकती थी। इस आधार पर भी, पी.डब्ल्यू.-2, किरण देवी, की घटनास्थल पर उपस्थिति संदिग्ध हो जाती है।

27. पी.डब्ल्यू.-8, निरीक्षक, कल्याण सिंह, के साक्ष्य के अनुसार, किरण देवी का कथन 04.02.1996 को, घटना के छह दिन बाद, अभिलिखित किया गया, तथा उसका चिकित्सीय परीक्षण 13.02.1996 को, घटना के 15 दिन बाद, किया गया। जबकि, पी.डब्ल्यू.-2, किरण देवी, के साक्ष्य के अनुसार,

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



वह घायल पी.डब्ल्यू.-1, गजेन्द्र, को दादरी अस्पताल तथा वहाँ से यशोदा अस्पताल, गाजियाबाद ले गई, जहाँ वह लगातार अपने देवर के साथ रही, तथा पुलिसकर्मी भी पी.डब्ल्यू.-1, गजेन्द्र, को दोनों अस्पतालों में भर्ती करा रहे थे। यदि पी.डब्ल्यू.-2, किरण, दोनों अस्पतालों में उपस्थित रही होती, तो पुलिसकर्मी निश्चित रूप से उसी दिन उसका चिकित्सीय परीक्षण करवाते। इस प्रकार, पुनः, श्रीमती किरण देवी की घटनास्थल पर उपस्थिति संदिग्ध है।

28. पी.डब्ल्यू.-2, किरण देवी, ने कहा कि वह पी.डब्ल्यू.-1, गजेन्द्र, को पुलिसकर्मी की मोटरसाइकिल पर दादरी अस्पताल ले गई, गजेन्द्र बीच में बैठा था, जिसे कमर पर गोली की चोट लगी थी। निःसंदेह, यदि किरण देवी इस स्थिति में पी.डब्ल्यू.-1, गजेन्द्र, को अस्पताल ले गई होती, तो उसके कपड़े रक्त से सने होते, तथा विवेचक द्वारा रक्तरंजित कपड़े जब्त कर न्यायालय के समक्ष साबित किए जाने पर पी.डब्ल्यू.-2, किरण, की घटनास्थल पर उपस्थिति की पुष्टि हो सकती थी। ऐसा न करने से पुनः घटनास्थल पर किरण की उपस्थिति संदिग्ध हो जाती है।

29. विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि पी.डब्ल्यू.-1 घायल गजेन्द्र की साक्ष्य से संपुष्टि हेतु पी.डब्ल्यू.-2, किरण, के साक्ष्य का तुलनात्मक मूल्यांकन आवश्यक है, क्योंकि घायल गजेन्द्र (पी.डब्ल्यू.-1) की घटनास्थल पर उपस्थिति को किसी भी प्रकार से अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता। पी.डब्ल्यू.-1 गजेन्द्र ने घटनास्थल के संबंध में अपने कथन में कहा कि जब वे कोट पुल के निकट चोलस मोड़ पर पहुँचे, अभियुक्तगण देशी पिस्तौलें लिए हुए उनसे मिले। नक्शा-नजरी प्रदर्श क-17, जिसे पी.डब्ल्यू.-10 उप-निरीक्षक सुरेन्द्र सिंह चौहान द्वारा साबित किया गया, में अभियुक्तगण को बिंदु 'सी' से बिंदु 'डी' तक सड़क पार करते हुए तथा घायल एवं मृतक पर गोली चलाते हुए दिखाया गया है। इसी प्रकार, साइट मैप में मृतक ज्ञानेन्द्र एवं घायल गजेन्द्र को सड़क पार कर बिंदु 'सी' या 'एफ' पर सवारी की प्रतीक्षा करते हुए नहीं दिखाया गया है। पी.डब्ल्यू.-1 गजेन्द्र ने भी ऐसा कथन नहीं किया है, जबकि किरण देवी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा था कि वे सभी जी.टी. रोड पार करने के बाद खड़े थे। हम विपरीत सड़क पर बस की प्रतीक्षा में खड़े थे।

30. विचारण न्यायालय ने यह पाया कि पी.डब्ल्यू.-2 का कथन विलंब से अभिलिखित किया गया तथा उसका चिकित्सीय परीक्षण घटना के पन्द्रह दिन बाद किया गया। उसने पाया कि उसकी विश्वसनीयता संदिग्ध है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



31. हमारा भी यह मत है कि घटनास्थल पर पी.डब्ल्यू.-2 की उपस्थिति पूर्णतः संदिग्ध है। हम भी उसे विश्वसनीय साक्षी नहीं मानते। अतः विचारण न्यायालय द्वारा पी.डब्ल्यू.-1 के कथन की पी.डब्ल्यू.-2 से संपुष्टि किया जाना उचित दृष्टिकोण नहीं है।

32. जहाँ तक पी.डब्ल्यू.-3, शिकायतकर्ता बिजेन्द्र, का प्रश्न है, अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट पी.डब्ल्यू.-3 शिकायतकर्ता बिजेन्द्र द्वारा दर्ज कराई गई। लिखित रिपोर्ट (तहरीर) प्रदर्श क-1 श्योराज सिंह की लिखावट में है। यह उल्लेख किया गया है कि चिक एफ.आई.आर. 15:50 बजे पंजीकृत की गई, जबकि पी.डब्ल्यू.-3 बिजेन्द्र ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि वह लगभग 4 या 4:30 बजे गाजियाबाद अस्पताल में उपस्थित था, जहाँ वह श्योराज सिंह से मिला तथा वहाँ 15 से 20 मिनट रहने के पश्चात्, वह श्योराज सिंह के साथ थाने आया तथा रिपोर्ट दर्ज कराई। इस प्रकार, अपीलार्थीगण के अनुसार, प्रथम सूचना रिपोर्ट पूर्वदिनांकित रिपोर्ट है। चूँकि, प्रथम सूचना रिपोर्ट मामले की रीढ़ है, पूर्वदिनांकित होने के कारण, संपूर्ण अभियोजन कहानी अविश्वसनीय हो जाती है। घटना दिन में लगभग 15 बजे घटित होना कहा गया है तथा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट 15:50 बजे, अर्थात् घटना के 50 मिनट बाद, दर्ज की गई। शिकायतकर्ता बिजेन्द्र सिंह के कथन के अनुसार, लिखित रिपोर्ट (तहरीर) प्रदर्श क-1 के लेखक, श्योराज सिंह, उससे यशोदा अस्पताल, गाजियाबाद में लगभग 4 या 4:30 बजे मिले, जहाँ से बिजेन्द्र, 15 से 20 मिनट रुकने के पश्चात्, श्योराज के साथ थाने आया तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। अभियुक्तगण के अनुसार, यदि वह यशोदा अस्पताल में 16 या 16:30 बजे था, तो यह एफ.आई.आर. में 15:50 बजे अभिलिखित होना कैसे दर्शाया जा सकता है। अतः एफ.आई.आर. पूर्वदिनांकित है।

33. विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि घटना 28 जनवरी की है, जो शीत ऋतु है जब सूर्यास्त शीघ्र होता है। यशोदा अस्पताल से थाने की दूरी लगभग 15 से 20 किलोमीटर है तथा यह मुख्य मार्ग पर स्थित है। यशोदा अस्पताल से, सभी परिस्थितियों में, दादरी लगभग आधे घंटे में पहुँचा जा सकता है। साक्षी बिजेन्द्र ने लगभग 4 या 4:30 बजे का समय बताया है। प्रतिपरीक्षा के दौरान उसे घड़ी के संदर्भ में कोई विशिष्ट समय नहीं पूछा गया। अतः, यह आधे घंटे का अंतर मानवीय भूल हो सकती है, जो स्वाभाविक है। इस आधार पर, प्रथम सूचना रिपोर्ट

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



को पूर्वदिनांकित नहीं माना जा सकता। अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत तर्क विचारण न्यायालय के अनुसार निराधार हैं।

34. पी.डब्ल्यू.-1, घायल, गजेन्द्र, जो घटनास्थल पर अग्न्यास्त्र से घायल हुआ, के संबंध में अभियोजन की ओर से कहा गया है कि साक्ष्य का अवलोकन उपलब्ध चिकित्सीय रिपोर्ट के आलोक में करना आवश्यक है। पी.डब्ल्यू.-1 गजेन्द्र की चिकित्सीय रिपोर्ट प्रदर्श क-4 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। पी.डब्ल्यू.-7, डॉ. एस.के. गर्ग, ने प्रदर्श क-4 चिकित्सीय रिपोर्ट को साबित करते हुए शपथ पर कथन किया कि दिनांक 28.1.96 को वह शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, दादरी में चिकित्सा अधीक्षक के पद पर तैनात था। उसी दिन, कांस्टेबल श्यामपाल सिंह द्वारा लाए गए घायल का अपराहन 3:40 बजे परीक्षण किया गया तथा उसके शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाई गईं: कमर के पिछले भाग पर 3 सेमी x 1 सेमी माप का एक प्रवेश घाव, जिससे रक्त बह रहा था। अत्यधिक रक्तस्राव के कारण निकास घाव का परीक्षण नहीं हो सका तथा उक्त घाव के चारों ओर हल्का सा कालापन था। यह चोट अग्न्यास्त्र से लगने की संभावना थी। अतः, पी.डब्ल्यू.-1, गजेन्द्र, ने शपथ पर कथन किया कि दिनांक 28.1.96 को लगभग 3 या 3:15 बजे, कृष्णपाल ने भागते समय उस पर पीछे से गोली चलाई। चूँकि पी.डब्ल्यू.-7, डॉ. एस.के. गर्ग, ने चिकित्सीय परीक्षण के दौरान लगभग 3:40 बजे पी.डब्ल्यू.-1, गजेन्द्र, पर ताजा अग्न्यास्त्र की चोट एवं रक्तस्राव पाया तथा चिकित्सीय रिपोर्ट तैयार की, अतः चिकित्सक के कथन एवं चिकित्सीय रिपोर्ट क-4 के आलोक में गजेन्द्र का उपर्युक्त कथन पुष्ट होता है।

35. जहाँ तक घायल गजेन्द्र के कथन का प्रश्न है, उसने कहा कि दिनांक 28.1.96 को अभियुक्तगण ब्रह्मपाल एवं चन्द्रपाल ने लगभग 3 या 3:15 बजे देशी पिस्तौल से उसके भाई ज्ञानेन्द्र को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इस संबंध में, मृतक ज्ञानेन्द्र की शव-परीक्षण रिपोर्ट तथा शव-परीक्षण करने वाले चिकित्सक की गवाही का अवलोकन करना आवश्यक है। ज्ञानेन्द्र की शव-परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श क-2 की पुष्टि पी.डब्ल्यू.-5, डॉ. ए.के. रस्तोगी, के कथन से हुई, जिन्होंने शव-परीक्षण प्रदर्श क-2 को साबित करते हुए मुख्य रूप से कहा है कि दिनांक 29.1.96 को वह जिला अस्पताल, गाजियाबाद में तैनात था। उस दिन, मृतक ज्ञानेन्द्र का शव कांस्टेबल ऋषि पाल एवं राजेन्द्र सिंह द्वारा लाया गया, जिसका शव-परीक्षण उसी दिन किया

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



गया। मृतक की मृत्यु लगभग एक दिन पूर्व हुई थी। निम्नलिखित अंत्येष्टिपूर्व (ante-mortem) चोटें पाई गई:-

1. बंदूक की गोली का प्रवेश घाव, 1 सेमी x 1 सेमी माप, वक्ष गुहा तक गहरा, बाईं ओर पीठ के स्कैपुलर क्षेत्र में। घाव की दिशा अंदर एवं आगे की ओर थी। घाव के चारों ओर 27 सेमी क्षेत्र में बारूद के निशान थी।

2. बंदूक की गोली का प्रवेश घाव, 2 सेमी x 1.5 सेमी माप, मस्तिष्क गुहा में। सिर के पश्चकपाल क्षेत्र में, जिसकी दिशा आगे, अंदर एवं ऊपर की ओर थी।

3. फटा हुआ घाव 1 सेमी x 1.5 सेमी, मांसपेशी तक गहरा। उंगली के चारों ओर भी कालापन उपस्थित था।

36. मृतक की मृत्यु का कारण शॉक एवं रक्तस्राव था। मृत्यु अंत्येष्टिपूर्व चोटों के कारण हुई थी।

37. यह निर्विवाद है कि मृतक की मृत्यु उसे लगी अंत्येष्टिपूर्व चोटों के कारण हुई। जो विवादित है वह यह है कि क्या तत्पश्चात् मृतक को अपीलार्थीगण द्वारा मृत्यु के घाट उतारा गया।

38. अभियोजन की ओर से अभियुक्त, सुरसे, के विरुद्ध धारा 302 सहपठित धारा 120बी भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध के आरोप के संबंध में यह प्रस्तुत किया गया है कि शिकायतकर्ता की अपने गाँव के धर्मवीर पुत्र रतन सिंह के साथ भूमि को लेकर शत्रुता है तथा अभियुक्तगण, सुरसे, कृष्णपाल एवं ब्रह्मपाल, धर्मवीर के रिश्तेदार हैं। यह आगे तर्क प्रस्तुत किया गया कि इसी शत्रुता के कारण, धर्मवीर एवं सुरसे ने षड्यंत्र रचा तथा यह विवादित हत्या करवाई। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी पी.डब्ल्यू.-1 गजेन्द्र ने भी अपने कथन में इस तथ्य को कहा है तथा पी.डब्ल्यू.-3 बिजेन्द्र ने आगे शपथ पर कहा है कि उसकी धर्मवीर के साथ भूमि को लेकर शत्रुता है। शेष व्यक्ति धर्मवीर के रिश्तेदार हैं। अभियुक्त धर्मवीर एवं सुरसे ने तीनों अभियुक्तगण के साथ षड्यंत्र रचकर यह अपराध करवाया। फिरे एवं हरवीर को इसके बारे में ज्ञान है। हरवीर को अभियोजन की ओर से पी.डब्ल्यू.-4 के रूप में परीक्षित किया गया, जिसने शिकायतकर्ता के गाँव के धर्मवीर एवं मृतक ज्ञानेन्द्र के बीच भूमि को लेकर पुरानी शत्रुता की पुष्टि की। उसने आगे कहा कि धर्मवीर के पिता रतन सिंह की हत्या हुई थी, जिसमें मृतक ज्ञानेन्द्र को अभियुक्त बनाया गया था। धर्मवीर ने अपनी बहन का विवाह सुरसे के पुत्र से करवाया। अभियुक्त सुरसे, ज्ञानेन्द्र की हत्या से तीन-

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



चार दिन पूर्व गाँव आया था तथा उसने धर्मवीर के साथ बातचीत नहीं देखी और न ही उसने सुना कि उसने अपनी बहन का विवाह सुरसे के पुत्र के साथ इसलिए कराया कि सुरसे ज्ञानेन्द्र की हत्या करवा दे। इस प्रकार, इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया है। इस साक्ष्य के अतिरिक्त, अभियुक्त सुरसे द्वारा ज्ञानेन्द्र की हत्या के षड्यंत्र के संबंध में अभियोजन द्वारा कोई अन्य साक्ष्य साबित नहीं किया गया है। अतः, अभियुक्त सुरसे के विरुद्ध हत्या के षड्यंत्र का आरोप अभियोजन द्वारा साबित नहीं किया गया तथा विचारण न्यायालय ने इसी आधार पर सुरसे को पहले ही दोषमुक्त कर दिया है।

39. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार घटनास्थल ग्राम नगला नैनसुख का खेत बताया गया है, जबकि ज्ञानेन्द्र का शव ग्राम लुहारसी के खेत में पाया गया। यह उल्लेख नहीं किया गया है कि ग्राम लुहारसी का उल्लेख कैसे किया गया तथा पंचायतनामा में यह भी उल्लेख नहीं है कि घटनास्थल एवं थाने के बीच क्या दूरी है। पेपर बुक में "स्थिति लाश एवं मौका मुआयना" में यह उल्लेख है कि शव, लुहारसी को जाने वाली सड़क पर खेत में पड़ा हुआ पाया गया।

40. पी.डब्ल्यू.-3 के कथन से यह स्पष्ट है कि जब उसके भाई, ज्ञानेन्द्र, को अभियुक्तगण, ब्रह्मपाल, चन्द्रपाल द्वारा गोली मारी गई तथा गजेन्द्र को अभियुक्त कृष्णपाल द्वारा गोली मारी गई, पी.डब्ल्यू.-3, बृजेन्द्र, ने कहा कि वह घटनास्थल से भाग गया तथा अपराधियों के घटनास्थल छोड़ने तथा पी.डब्ल्यू.-2 के पुलिस चौकी कोट को घटना की सूचना देने चले जाने के पश्चात् भी, पी.डब्ल्यू.-3 पी.डब्ल्यू.-1 की सहायता करने अथवा यह देखने कि उसका मृतक भाई, ज्ञानेन्द्र, जीवित है या नहीं तथा उसे किसी चिकित्सीय सहायता की आवश्यकता है या नहीं, वापस नहीं आया। पी.डब्ल्यू.-3 का यह आचरण घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति को संदिग्ध बनाता है। उसने दावा किया कि वह घटनास्थल से भागा तथा सीधे यशोदा पहुँचा जहाँ पी.डब्ल्यू.-1 का उपचार चल रहा था। अपने कथन में, उसने यह प्रकट नहीं किया कि उसे कैसे ज्ञात हुआ कि पी.डब्ल्यू.-1 को यशोदा ले जाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के समय के संबंध में उसके कथन में विसंगति का विचार ऊपर पहले ही किया जा चुका है।

41. अतः यह स्पष्ट है कि अभियोजन द्वारा स्थापित अपराध का हेतु यह था कि सुरसे एवं धर्मवीर ने अपीलार्थीगण के साथ मिलकर षड्यंत्र रचकर अभिकथित घटना कारित की। तथापि,

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



मुख्य षड्यंत्रकारियों में से एक, सुरसे, को विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया तथा सुरसे एवं धर्मवीर द्वारा षड्यंत्र रचे जाने का अभिकथन साबित नहीं पाया गया।

42. अतः, प्रथम सूचना रिपोर्ट की सत्यता के संबंध में उसके समय को लेकर उत्पन्न संदेह, पी.डब्ल्यू.-1 द्वारा प्रतिपरीक्षा में अभियोजन के मामले का पूर्णतः समर्थन न करना, पी.डब्ल्यू.-2 का अविश्वसनीय पाया जाना, पी.डब्ल्यू.-4 का पक्षद्रोही घोषित किया जाना तथा पी.डब्ल्यू.-3 का असामान्य आचरण, इन सभी को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे साबित हुआ है।

43. अतः, हम अपीलार्थीगण को संदेह का लाभ देने तथा उन्हें समस्त आरोपों से दोषमुक्त करने के इच्छुक हैं।

44. विचारण न्यायालय का निर्णय एवं आदेश अपास्त किया जाता है।

45. आपराधिक अपील स्वीकार की जाती है।

46. अपीलार्थीगण जमानत पर हैं। उनके जमानत बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं तथा जमानतदार उन्मोचित किए जाते हैं।

47. इस निर्णय की प्रति विचारण न्यायालय के अभिलेख के साथ आवश्यक अनुपालन हेतु एक सप्ताह के भीतर विचारण न्यायालय को वापस भेजी जाए।

14 अगस्त, 2026

अभिषेक

(न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी) (न्यायमूर्ति सिद्धार्थ)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”